कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453-230410, Fax No. 07453-230244

दिनांक :– 11-4-2019

कमांक एफ( ) एफ.सी.ए./उवस/18–19 3462

निमितः–

अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहाबाद।

विषय :– Diversion of 2.00ha of forest land for construcation of road from Ramgarh –Kalapatta road to Karwala Laxmipura under RRSMP in Raj .in Baran forest Division. (प्रकरण संख्या FP /RJ /Road /6988 m /2014)

संदर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्र कमांक 08–बी/राज/ 06/17/2015/एफ.सी. /440 दिनांक 1.10.2018के कम मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी। स्वीकृति में अंकित शर्तो की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 15977–79 दिनांक 25.10.18, पत्रांक 16019 दिनांक 26.10.18 तथा पत्रांक 16161 दिनांक 31.10.2018 से निवेदन किया गया था ताकि प्रकरण अंतिम स्वीकृति हेतु अग्रेषित किया जा सके। किन्तु आपके द्वारा बिन्दुवार पालना रिपोर्ट आज दिनांक तक प्रेषित नहीं की गई है। अतः अब निम्नानुसार बिन्दुवार पालना प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके

बिन्दु संख्या (1) के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस आशय की अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करे।

बिन्दु संख्या (2) शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.00 हेक्टर पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.00 हैक्टेयर **164100/–** रू. प्रति हैक्टेयर की दर से रू **328200/–** जमा करावे ।

बिन्दु संख्या (3) की शर्त संख्या 3 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रू. (2.00ha x Rs 6.26 Lakh Per ha.) की दर से राशि रूपये **12.52 लाख** केम्पा मद में जमा करावे ।

बिन्दु संख्या (4) की शर्त संख्या 4 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई राशि के भुगतान को जमा कराने हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करे।

बिन्दु संख्या (5) की शर्त संख्या 5 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन क्षेत्र में 4 फिट ऊंचे आर.सी.सी. पिल्लरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करे।

Scanned by CamScanner

बिन्दु संख्या (6) की शर्त संख्या 6 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन क्षेत्र में मक डिस्पोजल योजना बनाकर इस कार्यालय से स्वीकृत कराकर प्रेषित करने हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करे।

बिन्दु संख्या (7) की शर्त संख्या 7 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनो तरफ तथा बीच में यदि उपलब्ध है तो वृक्षारोपण करने हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करे।

बिन्दु संख्या (8) की शर्त संख्या 8 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा–निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करें।

बिन्दु संख्या (9) भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) मे प्रकाशित करा समाचार पत्रो की प्रति इस कार्यालय को भिजवायें।

संलग्न :– उक्तानुसार।

भवदीय

(महेश चन्द गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक एफ( ) एफ.सी.ए. / उवस / 16–17 /   दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) राजस्थान जयपुर।
2. मख्य वन संरक्षक कोटा।
3. अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत बांरा

(महेश चन्द गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

Scanned by CamScanner